

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं० : 69/2025

कमलादेवी पत्नी भोलूराम जाति जांगिड़ निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डावड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।

:- प्रतिवादी

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र कुमार गोयल व प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 94/136 के खसरा संख्या 109 की 1.9090 है० बारानी, खसरा संख्या 110 की 1.7200 है० बारानी, खसरा संख्या 111 की 0.1520 है० बारानी और खसरा संख्या 170 की 1.0750 है० बारानी, खसरा संख्या 48 की 3.6170 है० बारानी, खसरा संख्या 51 की 2.1120 है० बारानी कुल खसरे 6 की 10.5850 है० में वादीया का 1/27 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादीया का नाम कमला पत्नी भोलूराम दर्ज है। तथा रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता संख्या 95/29 के खसरा संख्या 171 की 4.5400 है० बारानी, खसरा संख्या 62 की 0.6200 है० बारानी कुल खसरा 2 की 5.1600 है० बारानी में वादीया का 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीया का नाम कमला पत्नी भोलूराम निवासी शिवदानपुरा दर्ज है की जगह वादीया का नाम कमलादेवी पत्नी भोलूराम निवासी शिवदानपुरा किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच कमला पत्नी भोलूराम निवासी शिवदानपुरा के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में कमला पत्नी भोलूराम निवासी शिवदानपुरा के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए कमला पत्नी भोलूराम निवासी शिवदानपुरा नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ~~23.09.2025~~ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



Nidhi

(निधि उड़सरिया) R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़



न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उडसरिया आरएएस

प्रकरण सं० : 69/2025

कमलादेवी पत्नी भोलूराम जाति जांगिड़ निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डावड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।

:- प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज०क्रा०अध० 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र कुमार गोयल: वादी

राजपैरोकार : प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक : 23.09.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 94/136 के खसरा संख्या 109 की 1.9090 है० बारानी, खसरा संख्या 110 की 1.7200 है० बारानी, खसरा संख्या 111 की 0.1520 है० बारानी और खसरा संख्या 170 की 1.0750 है० बारानी, खसरा संख्या 48 की 3.6170 है० बारानी, खसरा संख्या 51 की 2.1120 है० बारानी कुल खसरे 6 की 10.5850 है० में वादीया का 1/27 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादीया का नाम कमला पत्नी भोलूराम दर्ज है। तथा रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता संख्या 95/29 के खसरा संख्या 171 की 4.5400 है० बारानी, खसरा संख्या 62 की 0.6200 है० बारानी कुल खसरा 2 की 5.1600 है० बारानी में वादीया का 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीया का नाम कमला पत्नी भोलूराम दर्ज है जो उपरोक्त दोनों खातों की वादभूमि में वादीया का नाम गलत दर्ज हो गया है जबकि वादीया का सही नाम कमलादेवी पत्नी भोलूराम है। वादीया के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड में वादीया का नाम कमलादेवी पत्नी भोलूराम दर्ज चला आ रहा है।

उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर वादीया के हितों पर विपरित असर पड़ता है। वादीया उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही है। इसलिए वादीया उपरोक्त वर्णित वादभूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम कमलादेवी पत्नी भोलूराम निवासी शिवदानपुरा करवा पाने की कानूनी अधिकारी है। वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा पेश किया।

पटवारी पटवार हल्का गढ़ड़ा व तहसीलदार (राजस्व) भादरा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./25/746 दिनांक 03.09.2025 के मुताबिक नाम दुरुस्त किया जाना उचित है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात व शपथ पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 94/136 के खसरा संख्या 109 की 1.9090 है० बारानी, खसरा संख्या 110 की 1.7200 है० बारानी, खसरा संख्या 111 की 0.1520 है० बारानी और खसरा संख्या 170 की 1.0750 है० बारानी, खसरा संख्या 48 की 3.6170 है० बारानी, खसरा संख्या 51 की 2.1120 है० बारानी कुल खसरे 6 की 10.5850 है० में वादीया का 1/27 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादीया का नाम कमला पत्नी भोलूराम दर्ज है। तथा रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता संख्या 95/29 के खसरा संख्या 171 की 4.5400 है० बारानी,

कमला देवी वनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

खसरा संख्या 62 की 0.6200 है0 बारानी कुल खसरा 2 की 5.1600 है0 बारानी में वादीया का 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीया का नाम कमला पत्नी भोलूराम निवासी शिवदानपुरा दर्ज है जबकि वादीया का सही नाम कमलादेवी पत्नी भोलूराम निवासी शिवदानपुरा है। इस प्रकार वादीया अपना वाद साबित करने में सफल रही। अतः वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं0 94/136 के खसरा संख्या 109 की 1.9090 है0 पत्नी, खसरा संख्या 110 की 1.7200 है0 बारानी, खसरा संख्या 111 की 0.1520 है0 बारानी, खसरा संख्या 170 की 1.0750 है0 बारानी, खसरा संख्या 48 की 3.6170 है0 बारानी, खसरा संख्या 51 की 2.1120 है0 बारानी कुल खसरे 6 की 10.5850 है0 में वादीया का 1/27 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादीया का नाम कमला पत्नी भोलूराम दर्ज है। तथा मौजा शिवदानपुरा के खाता संख्या 95/29 के खसरा संख्या 171 की 4.5400 है0 पत्नी, खसरा संख्या 62 की 0.6200 है0 बारानी कुल खसरा 2 की 5.1600 है0 बारानी में वादीया का 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीया का नाम कमला पत्नी भोलूराम निवासी शिवदानपुरा दर्ज है की जगह वादीया का नाम कमलादेवी पत्नी भोलूराम निवासी शिवदानपुरा किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच कमला पत्नी भोलूराम निवासी शिवदानपुरा के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में कमला पत्नी भोलूराम निवासी शिवदानपुरा के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए कमला पत्नी भोलूराम निवासी शिवदानपुरा नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि कृषि कर रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ~~23.09.2021~~ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में किया गया।



(Handwritten Signature)

(निधि उड़सरिया) R.A.S.

सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़